



वि. नं. 10/2006



वि. नं. 10/2006

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - ₹ 3,69,574/-  
 बाजार मूल्य - ₹ 3,04,313/-  
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प- ₹ 37,000/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - हसनपुर खवली
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 96 रकबा 0.392



कामि कुमा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

हेक्टेअर का 1/4 भाग अर्थात 0.098 हे० व खसरा संख्या 108 रकबा 0.203 हे० का 1/2 भाग अर्थात 0.1015 हे० इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.1995 हे० स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई -
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल -
7. सड़क की स्थिति -

हेक्टेअर  
0.1995 हेक्टेअर  
सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक



कमल कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 3 -

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि  
9. पेड़ों की स्थिति - कोई पेड़ नहीं है।  
10. बोरिंग/ कुआं अन्य - एक ट्यब्वेल

चौहद्दी खसरा नं0 96

उत्तर : खसरा नं0-95  
दक्षिण : ग्राम सीमा मुजफ्फरनगर घुसवल  
पूरब : खसरा नं0-97, 98  
पश्चिम : खसरा नं0-93

चौहद्दी खसरा नं0 108

उत्तर : खसरा नं0-109



कामिल कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये.

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 301742

- 4 -

दक्षिण : खसरा नं0-97, 98  
पूरव : खसरा नं0-107  
पश्चिम : खसरा नं0-95, 96

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
मैकू पुत्र चुरई निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	:	क्रांति कुमार रावत पुत्र लक्ष्मी रावत निवासी ग्राम रतियामऊ परगना तहसील व जिला लखनऊ।
व्यवसाय- कृषि	:	व्यवसाय- कृषि



क्रांति कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

0.1995 हे0 स्थित ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00115 व 00114 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं



कामिल कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 072215

- 7 -

है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त



फातिमा कुमारी



- 8 -

भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य मय ट्यूब्वेल सहित ₹0 3,69,574/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है,

1/10/2018  


कामि कुमाँर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 924767

- 9 -



को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा  
क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा  
उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति  
को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए  
क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं  
उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में  
सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके  
वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही



शक्ति कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 924768

- 10 -



कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई ~~भाग~~ विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।



फाति कुमा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 924769



- 11 -

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह



कामि कुमा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 924756

- 12 -



का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1995 हेक्टेअर की मालियत 2,74,313/- होती है चूंकि उक्त भूमि पर एक ट्यूबवेल है और जिसकी कीमत रू0 30,000/- होती है इस प्रकार भूमि



फारमि कुआ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 924755

- 13 -



की कुल मालियत रु0 3,04,313/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 37,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं हैं तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं



फाकि कुमा

9111/1000  
 श्री/श्रीमती क्रांति कुमार रावत

बहाल रोका  
 शुद्ध रोकिए

विक्रय पत्र

369,574.00 / 304,314.00


5,000.00 40 5,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री/श्रीमती मैकू  
 पुत्र/पत्नी श्री चुरई

✓ 03



पेशा व्यापार

निवासी स्थायी हसनपुर खेवली लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 10/1/2007 समय 5:31PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

10/1/2007

क.के.शुक्ला

विषयादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती मैकू  
 पुत्र/पत्नी श्री चुरई  
 पेशा व्यापार  
 निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

✓ 03



क्रेता

श्री/श्रीमती क्रांति कुमार रावत  
 पुत्र/पत्नी श्री लक्ष्मी रावत  
 पेशा व्यापार  
 निवासी रतियामउर् लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अमर नाथ

पुत्र श्री दियाकर नाथ

पेशा व्यापार

निवासी 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

व श्री राजेन्द्र

पुत्र श्री परमेश्वर दीन

पेशा व्यापार

निवासी हसनपुर खेवली लखनऊ

ने की।

राजेन्द्र



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

10/1/2007

चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता मैकू को रू० 3,69,574/- द्वारा चेक संख्या-401500 दिनांकित 06.01.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता का कुल विक्रय मूल्य म० इयूब्लेस सहित 3,69,574/- (रुपया तीन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ औरत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:


दिनांक : 10.01.2007

गवाह :-क्रेता पहचान की

1.   
श्रीमान श्री 8/ परमेश्वर सिंह  
18 मदन मोहन मालवीय मार्ग  
लखनऊ



2. विक्रेता पहचान की

क्रेता 


राजेंद्र 8/ परमेश्वर सिंह  
सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन परवा  
(लखनऊ)

टाईपकर्ता

  
(मोनू कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

  
(बिकेट रमन सिंह)

एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 292

Year: 2007

Book No. 1

0101 भैरव

घुरई

हसनपुर खेदली लखनऊ

व्यापार




डरगाहा जेठना

परगना किल्ला नहरा ७

पिन - ८५६

रकम १६ - १६९१०८

रकना



Handwritten notes or signatures in the bottom left corner.

फालि कुमाँर  
के. २१


क्रेता

Registration No. 292

Year : 2007

Book No. 1

0201 क्रांति कुमार रावत  
लक्ष्मी रावत  
रतियामल्ल लखनऊ  
व्यापार




रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,  
फिंगरस प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :-

श्री वि० इ० (त०) देव का ए०

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता/क्रेता नाम व पता :-

श्री वि० इ० (त०) देव का ए०


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर



बायें हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



श्री वि० इ० (त०) देव का ए०  
विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 10/01/2007 को  
वही सं 1 जिल्द सं 8040  
पृष्ठ सं. 363 से 394 पर क्रमांक 292  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

  
के. के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

10/1/2007